

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 156085

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या

दिनांक

446

07-5-19



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 99 पत्रावली संख्या 45355-एमदिनांक 2004-2005

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि केम्ब्रीज इन्स्टीट्यूट आफ
इंग्लिश लैंग्वेज सोसाइटी, सराज देवी बिल्डिंग, दनकौर रोड, निकट ध्रुव अस्पताल,
सिकन्दाबाद, जिला-बुलन्दशहर को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 109 दिनांक 26-04-2004 को दिनांक

26-04-2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1100 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 06-05-2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

स्मृति-पत्र

- 1- संस्था का नाम : क्रैम्ब्रीज इन्स्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोसाइटी
- 2- संस्था का पूरा नाम : सरोज देवी बिल्डिंग दनकौर रोड, निकट ध्रुव अस्पताल
सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त मेरठ मण्डल होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित होंगे :-

- 1- समाज में युवाओं/युवतियों को स्वतः रोजगार के प्रति जागृत करना एवं उनमें शिक्षण-प्रशिक्षण की भावना को जागृत करना।
- 2- समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- 3- युवक/युवतियों को समस्त प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना। जैसे कम्प्यूटर आदि।
- 4- राष्ट्र की एकता अखण्डता की भावना पैदा करना।
- 5- युवक/युवतियों को इंग्लिश लैंग्वेज/स्पीकिंग शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रों की स्थापना करना।

उत्तम लाल

Chairman / Secretary

Cambridge Institute Of English Language Society
Sikandrabad (U. P.)

सरोज देवी

NK

Preethi Gaur

केम्ब्रिज इन्स्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोसाइटी

सरोज देवी बिल्डिंग, दनकौर रोड, निकट ध्रुव अस्पताल सिकन्द्राबाद, जिला-बुलन्दशहर।

प्रबन्धसमिति की सूची वर्ष :- 2019-2020

क्र० सं०	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री उदयपाल सिंह पुत्र श्री मान सिंह	हीरा कालोनी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	अध्यक्ष	रिटायर्ड
2.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री मुरारी सिंह	21ए, गली नं०-10, न्यू सैनिक विहार, मेरठ।	उपाध्यक्ष	रिटायर्ड
3.	श्री नवीन कुमार गौड पुत्र श्री उदयपाल सिंह	हीरा कालोनी सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर।	सचिव	अध्ययन
4.	श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री उदयपाल सिंह	हीरा कालोनी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	उपसचिव	गृहणी
5.	कु० प्रीति गौड पुत्री श्री उदयपाल सिंह	हीरा कालोनी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	कोषाध्यक्ष	अध्ययन
6.	श्री जितेन्द्र चौधरी पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह	हीरा कालोनी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	सदस्य	कृषि
7.	श्री यशपाल सिंह पुत्री श्री नत्थी सिंह	हीरा कालोनी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	सदस्य	रिटायर्ड

उदयपाल सिंह

Chairman / Secretary

Cambridge Institute Of English Language Society
Sikandrabad (U. P.)

सरोज देवी

*Nik
Jain*

Preeti Jain

नियमावली

- 1- संस्था का नाम : क्रैम्ब्रीज इन्स्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोसाइटी
- 2- संस्था का पूरा नाम : सरोज देवी बिल्डिंग दनकौर रोड, निकट ध्रुव अस्पताल
सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त मेरठ मण्डल होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे।
- 5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

क-सदस्यता :-

अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख-सदस्यों के वर्ग:-

अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5(क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 2100/- रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5(क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 151/- रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा। यह शुल्क वार्षिक होगा।

सरोज देवी

अमृता देवी

Chairman / Secretary

Cambridge Institute Of English Language Society
Sikandrabad (U. P.)

NK
Law

Prachi Samr

स- मनोनीत सदस्य :-

जो सज्जन किसी क्षेत्र जैसे साहित्यिक, सामाजिक कलात्मक आदि में प्रख्याति रखता हो, जिसकी प्रबन्धकारिणी समिति आवश्यकता महसूस करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सज्जन को अपने बहुमत के आधार पर मनोनीत सदस्य के रूप में मनोनीत सदस्य कर सकेगी, इनको मताधिकार का प्रयोग नहीं होगा।

6- सदस्यता की समाप्ति :-

- 1- सदस्य की मृत्यु होने पर।
- 2- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर।
- 3- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
- 4- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।
- 5- अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक के निर्देशों का पालन न करने पर।
- 6- संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।
- 7- किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

7- संस्था के अंग :-

क- साधारण सभा।

ख- प्रबन्धकारिणी समिति।

8- साधारण सभा :-

- क- गठन :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी।
- ख- बैठकें :- सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
- ग- सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

सरोज ५९

Chairman / Secretary

Chairman / Secretary-

Cambridge Institute Of English Language Society
Sikandrabad (U. P.)

Chairman

Secretary

घ-कोरम :-

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो।

ड-साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
- 2- संस्था के आय-व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना।
- 3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।
- 4- संस्था की नीति निर्धारित करना।
- 5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना।

9- प्रबन्धकारिणी समिति :-

क-गठन :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में बहुमत द्वारा निम्न प्रकार करेगी। :-


- 1- अध्यक्ष- एक
- 2- उपाध्यक्ष-एक
- 3- सचिव-एक
- 4- उपसचिव-एक
- 5- कोषाध्यक्ष-एक
- 6- सदस्यगण-दो

ख-बैठकें :-

सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :-

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 72 घंटे पूर्व दी जायेगी सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।




Chairman / Secretary

Cambridge Institute Of English Language Society
Sikandrabad (U. P.)







घ-कोरम :- प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम 2/3 होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ड-रिक्त पद की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारा सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।

च-कार्यकाल :- प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

छ-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के नियमों में संशोधन करना।
- 2- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- 3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि तैयार कराना।
- 4- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।
- 5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल-अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।

10- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

- 1- संस्था की सभी प्रकार की बैठकों सभाओं की अध्यक्षता करना।
- 2- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना।

बाल देवी

30.10.17

Chairman / Secretary

Cambridge Institute Of English Language Society
Sikandrabad (U. P.)

Nh
Jain

Prachi Jain

3- किसी भी स्थिति में समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

4- संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

सचिव :-

1- संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

2- संस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित भी करना।

3- संस्थाके द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।

4- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना।

5- संस्था के सदस्य/कर्मचारी के त्याग पत्र स्वीकृत करना।

6- संस्था के प्रबन्ध संचालन हेतु उपयोग सभी अधिकार एवं कर्तव्य संचालक के साथ मिलकर सम्पन्न करेंगे, तभी वैध माने जायेंगे।

उपसचिव :-

सचिव की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपसचिव को निहित होंगे।

कोषाध्यक्ष :-

1- संस्था के केश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

2- संस्था के आय-व्यय की रिपोर्ट बजट तैयार कर बैठक में प्रस्तावित करना।

शशिका देवी

अमल सिंह

Chairman / Secretary

Cambridge Institute Of English Language Society
Sikandrabad (U. P.)

Mhaw

Prachi Gaur

- 3- सचिव के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।
- 11- नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-
संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से की जायेगी।
- 12- संस्था का कोष :-
संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।
- 13- आय व्यय लेखा परीक्षा :-
संस्था के आय-व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेगा, जोकि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।
- 14- कानूनी कार्यवाही :-
संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।
- 15- अभिलेख :-
सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक, रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे।
- 16- विघटन :-
संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।
- 17- उद्देश्यों की पूर्ति :-
संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भूमि, भवन, चल-अचल सम्पत्ति को उपहार स्वरूप प्राप्त करेगी। दान-अनुदान, ऋण आदि आर्थिक सहायता विभिन्न स्रोतों, बैंक, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय/विभाग/मंत्रालय से प्राप्त करने का प्रयास करना।

दिनांक :- 01/05/2019

सत्यप्रतिलिपि।

अमल सिंह

Chairman / Secretary

Cambridge Institute Of English Language Society
Sikandrabad (U. P.)

सरोज देवी

NR

Arachidaw